राधिकारी सामिल है जो जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 मे स्पष्ट इन्द्राज है तो
न प्रकार गैरसायलान् संख्या 1 को वादग्रस्त सम्पति विरासत के रूप में उनके पिता
प्राप्त हुई जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है वादग्रस्त आराजी मे गैरसायलान् संख्या 1
। 1/5 वां हिस्सा गैरसायलान् सख्या 1 को विरासत के रूप मे प्राप्त हुई और विरासत
रूप में प्राप्त होने से सायलान् जो कि गैरसायलान् संख्या 1 का जायन्दा पुत्र होकर
वर्गीय पुरारामजी जी का पौत्र होने से सायलान् का उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति मे बाई
र्थ अर्थात जन्मतः हक अधिकार निहित है। एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण ने
पने हक-हिस्से की भूमि के खातेदारी अधिकारों के घोषणा का दावा प्रस्तुत किया जो
के विचाराधीन है।

चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में मूल वाद बाबत घोषणा का है जो
स सम्बन्ध में जब तक अंतिम रूप से मूल वाद के निस्तारण से पूर्व यदि वादग्रस्त
ाराजी के विशिष्ट भू-भाग का किसी अन्य को हस्तांतरण हो जाता है तो उससे निश्चित
ो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी। खातेदारान के लिए यह उचित होगा
ी वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण न
करें तथा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका
ाना न्यायोचित एवं विधिसंगत होगा तथा अतः प्रथम दृष्ठया मामला प्रार्थी के पक्ष में
खूबी साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

02) **सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :-** चुंकि प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीगण के
क्ष में साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् मुख्य
अनुतोष चाहा है। अतः यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया
तो भू अभिलेखीय प्रविष्टि के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण हो
सकता है तथा ऐसी दशा में यदि वादपत्र डिक्री भी हो जाता है तो निश्चित रूप से
प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा यदि वादपत्र खारिज होता है तो अप्रार्थीगण को कोई
क्षति होना संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त दो बिन्दु भली भांति साबित होने से प्रार्थी के
पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है
कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र
स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान एवं
हस्तान्तरण नहीं करने तथा भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार कोई
परिवर्तन नहीं करनें बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत्
एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा
212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति
साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा
सोमावास पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण में
स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.7689 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (व्यावर)

म्बर 8 रकबा 0.7608 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 9 रकबा 1.603 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 5 रकबा 2.9299 हैक्टयर किस्म रानी अव्वल का रहन, बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि न करे तथा वादग्रस्त आराजी में दि प्रार्थीगण काश्त या काश्त मुतालिक कार्य करवावे तो न ही अप्रार्थी संख्या एक वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य एवं हाली एजेन्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप करें। वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली सी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक **06/05/2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)